दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

आत्मानंद विद्यालय के छात्रों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली

सारंगढ़-बिलाईगढ़। लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा आगामी विधानसभा निर्वाचन में शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन एवं स्वीप नोडल हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सारंगढ़ ने छात्रों द्वारा नगर भ्रमण कर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का विशेष सहयोग रहा। छात्रों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न स्लोगन के माध्यम से आम नागरिकों से मतदान हेतु अपील की। इस अवसर पर सारंगढ़ जनपद पंचायत सीईओ संजू पटेल, विद्यालय के स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने अपनी सहभागिता दी।

मतदान और मतदान के पूर्व अखबार में राजनीतिक विज्ञापन का पूर्वप्रमाणन जरूरी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व 17 एवं 16 नवंबर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन का पूर्वप्रमाणन जरूरी है। राजनीतिक विज्ञापन के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी या अन्य संस्थान मतदान एवं मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराने वाले राजनीतिक विज्ञापन का प्री सर्टिफिकेशन अवश्य कराएं। विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जनपद पंचायत सारंगढ़ में एमसीएमसी प्रीसर्टिफिकेशन के प्रसारण के लिए प्रस्तावित दिनांक से कम से कम 3 दिन पूर्व आवेदन जमा कर सकते हैं।

निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित उप अभियंता को किया निलंबित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने नगर पंचायत बरमकेला के उप अभियंता ऋषिकेश पटेल को निलंबित किया है। ऋषिकेश पटेल की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन के उड़न दस्ता टीम में दल प्रभारी बनाया गया था। पटेल को 2 नवम्बर 2023 को बिना पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृत के अपने कर्तव्य में अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नही देने और 10 नवम्बर 2023 तक अपने कर्तव्य में अनुपस्थित पाए जाने के कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है। नियम अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन अवधि में पटेल का मुख्यालय कलेक्टोरेट कार्यालय सारंगढ़ होगा।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी वीसी बैठक में शामिल हुई

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के मतदान तैयारी के लिए वीसी बैठक में शामिल हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी द्वितीय चरण में होने वाले जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा व डॉ स्निग्धा तिवारी उपस्थित थे।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सभी प्रेक्षकों ने संयुक्त निर्वाचन बैठक लिया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विधानसभा क्षेत्र 17-सारंगढ़ के सामान्य प्रेक्षक तापस राय, विधानसभा क्षेत्र 43-बिलाईगढ़ के सामान्य प्रेक्षक पवन कुमार (जनरल आब्जर्वर), आईपीएस राजेन्द्र कुमार मीणा पुलिस प्रेक्षक और व्यय आब्जर्वर रत्नेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में संयुक्त बैठक लिया। इस अवसर पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 : 199 बुजुर्ग व दिव्यांगों मतदाताओं ने डाक मतपत्र से किया घर में मतदान

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में शत-प्रतिशत मतदान कराने के उद्देश्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु सुविधा प्रदान की गई थी। जिसके तहत जिले के चारों विधान सभाओं से कुल 199 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु प्रारूप 12 घ में आवेदन कराया गया था। ऐसे सभी मतदाताओं के निवास स्थल पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु जिले में 15 मतदान दल का गठन किया गया। दल में 2 मतदान अधिकारी, एक माईक्रो-आब्जर्वर, एक वीडियोग्राफर तथा सुरक्षा बल शामिल थे। साथ ही सभी अभ्यर्थी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना प्रदान की गई थी। जिसके अनुसार यह सभी दल निर्धारित समय अनुसार 8 एवं 9 नवम्बर को संबंधित मतदाता के निवास स्थल पर पहुंचकर डाक मतपत्र के माध्यम से विधिवत मतदान की कार्यवाही संपन्न कराया गया।

निवास स्थल पर मतदान करने वाले जिले के पात्र एवं चिन्हित कुल 207 मतदाताओं में से प्रथम चरण में 9 नवम्बर तक 199 मतदाताओं ने मतदान किया। 80 वर्ष से अधिक आयु के 06 मतदाता मृत होने एवं 02 मतदाताओं के उपस्थित नहीं होने के कारण उनका मतदान नहीं हो पाया है। अनुपस्थित दोनों मतदाताओं को पूर्व सूचना देते हुए मतदान कराने हेतु मतदान दल द्वारा पुन: 14 नवम्बर 2023 को उनके निवास स्थल पर जाकर मतदान संपन्न कराया जाएगा।

निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी डाकमत पत्र के माध्यम से सुविधा केन्द्र में कर सकते हैं मतदान

रायगढ़। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत ऐसे रायगढ़ जिले के चारों विधान सभाओं के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके द्वारा प्रारूप 12 में आवेदन किया गया है और अन्य जिलों में पदस्थ है या जिनकी अन्य जिलों में लगी हुई है, उनके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ द्वारा सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित की गई है। जिले के ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारी, माइक्रो आब्जर्वर, वाहन चालक, कंडक्टर, क्लीनर, आवश्यक सेवाओं बिजली एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में संलग्न कर्मचारी 11, 14, 15 एवं 16 नवम्बर 2023 को प्रथम तल सृजन मीटिंग हॉल, कलेक्टोरेट परिसर जिला-रायगढ़ में प्रात:10 बजे से सायं 5.30 बजे तक उपस्थित होकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते है। इसी प्रकार पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सदस्यों हेतु पुलिस कंट्रोल रूम, थाना चक्रधर नगर परिसर रायगढ़ में सुविधा केंद्र बनाया गया है। संबंधित अधिकारी-कर्मचारी संचालित सुविधा केन्द्र में निर्वाचन ड्यूटी आदेश अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्वाचन ड्यूटी की सूची एवं वोटर आईडी कार्ड के साथ उपस्थित होकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं से डाक मतपत्र सुविधा का लाभ लेने की अपील की गई है।

कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक एवं कर्मचारियों को 17 नवम्बर मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सवेतन अवकाश घोषित

रायगढ़। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 को संपन्न कराने के लिए 17 नवम्बर 2023 को मतदान कराया जा रहा है। इस संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लिए मतदान के दिन अर्थात 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश एवं तेंलगाना राज्य के विधानसभा आम निर्वाचन-2023 हेतु क्रमश: मतदान तिथि 17 नवम्बर एवं 30 नवम्बर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/ कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतिनक अवकाश प्रदान किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए है।

चरित्र शंका पर पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या : लैलूंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा

रायगढ़। दिनांक 08.11.2023 को थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को ग्राम टूरटूरा में एक महिला की हत्या की सूचना मिली। तत्काल थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। जहां गांव की दुलमत भुंईहर (60 साल) के घर उसकी बेटी गुलापी भुंईहर (30 साल) का शव पड़ा मिला। घटना के संबंध में मृतिका की मां बताई कि उसकी लड़की गुलापी भुईहर की शादी छ: साल पहले ग्राम ठेठेटांगर (उडिसा) के बलदेव भुईहर के साथ किये हैं। दामाद बलदेव ससुराल में ही रहता था, गुलापी की एक 3 साल की लड़की है। दामाद बलदेव उसकी पत्नी गुलापी के चरित्र पर शंका कर छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता था जिसे लेकर गांव में बैठक कर बलदेव को गांव से दो बार भगा दिये थे फिर भी बलदेव ससुराल आकर जबरन रहता था। पिछले बरसात के समय से बलदेव फिर ससुराल में आकर रह रहा था,। दिनांक 08.11.2023 को सुबह घर पर बलदेव उसकी पत्नी गुलापी से गाली गलौच, झगड़ा मारपीट कर डंडा से सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दिया और घर से भाग गया था। बलदेव को मोहल्ले वाले पकड़कर घर लेकर आये जिससे पूछने पर उसने गुलापी को लकड़ी डंडा से मारकर हत्या कर देना बताया। मौके पर लैलूंगा पुलिस मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया तथा घटनास्थल से हत्या के पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर घटना की रिपोर्ट पर आरोपी बलदेव भुईहर पिता मुनी भुईहर उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम ठेठेटांगर थाना हिमगीर जिला सुंदरगढ (उडिसा) के विरूद्ध हत्या का अपराध कायम कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

डाक/कुरियर पर भी है नजर, कुरियर संचालक बल्क में सामग्री आने पर दें सूचना -अपर कलेक्टर पाण्डेय

- नगद, अवैध वस्तुओं के आवाजाही को नियंत्रित करने कुरियर सर्विस संचालक एवं डाकघर प्रबंधक की ली बैठक

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के मद्देनजर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुरियर, डाकघर के माध्यम से नगद राशि, अवैध वस्तुओं के आवाजाही की आशंका को देखते हुए आज अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शहर के समस्त कुरियर सर्विस संचालकों एवं डाकघर प्रबंधकों की बैठक ली।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाण्डेय ने कहा कि आगामी निर्वाचन को प्रलोभन मुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्थैतिक निगरानी टीम कार्य कर रही हैं, लेकिन मतदाताओं को प्रलोभित करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन, होटल, फॉर्म हाउस, वित्तीय दलाल, नगद कुरियर एवं अन्य संदिग्ध एजेंसियों एवं व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में नगदी सामग्री की आवाजाही हेतु कुरियर सर्विस एवं डाकघर का उपयोग करने की आशंका है। इसके लिए सभी कुरियर सर्विस एवं डाकघर में किसी एक व्यक्ति के लिए बल्क में आने वाली संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रखते हुए जिला प्रशासन को जानकारी प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपस्थित समस्त कुरियर सर्विस संचालकों से प्रतिदिन की आवक-पार्सल की जानकारी ली।

ईपिक कार्ड वितरण की ली जानकारी- बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाण्डेय ने डाकघर प्रबंधक से नए एवं संशोधित ईपिक कार्ड के वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि डाकघर को भेजे गए सभी ईपिक कार्ड का मतदान से पूर्व वितरण सुनिश्चित करें, इसके साथ ही जो ईपिक कार्ड वितरित नहीं हुए हैं, उनकी जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाए ताकि बीएलओ के माध्यम से उन ईपिक कार्ड को वितरित किया जा सके।

जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

रायगढ़। छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 9 नवंबर 2023 को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल रायगढ़, उप जेल सारंगढ़, विशेष गृह, नई उम्मीद में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं समन्वय से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही जिले एवं तहसील स्थित स्कूल, कालेज में पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया गया। इसी अनुक्रम में जिला जेल रायगढ़ में भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविन्द कुमार सिन्हा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ दीपक कुमार कोशले तथा सचिव स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला जेल रायगढ़ का भ्रमण किया गया।

जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा बंदियों को यह जानकारी दी कि शिविर का मुख्य उदेश्य यह जानने का प्रयास करना है कि बंदियों को उनके कानूनी अधिकार के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नही। बंदियों के लिये लीगल एड डिफेंस कौंसिल की नियुक्ति की गई है। जिन बंदियों के मामले में अधिवक्ता नही है उनकी ओर से लीगल एड डिफेंस कौंसिल मामले में पैरवी करेगा तथा जमानत आदि की कार्यवाही करेगा। छोटे अपराधों मे निरूद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बे समय से जेल में है उन्हे जेल लोक अदालत में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर रिहा हो सकने की जानकारी दी गई।

शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ दीपक कुमार कोशले के द्वारा बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनके मामले में पैरवी हेतु नि:शुल्क विधिक सेवा पैनल अधिवक्ता नियुक्त करा पाने के अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता जिला स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर तथा सर्वेच्च न्यायालय स्तर पर प्राप्त करने के बारे में बताया गया। सचिव स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा बंदियो को विधिक सेवा प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दिया गया।

सहायक जेल अधीक्षक एस.पी. कर्रे के द्वारा जिला न्यायाधीश को यह जानकारी दी गई कि जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर से बंदी लाभान्वित हो रहे है। विगत तीन माह में जिला जेल से 75 बंदियों की रिहाई हुई है। सहायक जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों से उनकी रिहाई उपरांत पुन: अपराध न करने की अपील की गई। विधिक साक्षता शिविर में जेल कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।

जिला मुख्यालय सहित सभी थानाक्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस ने बाजार में किया पैदल मार्च

- धनतेरस पर रही पुलिस की तगड़ी व्यवस्था
- जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए अर्धसैनिक बलों के आने का सिलसिला जारी

रायगढ़। जिला प्रशासन व पुलिस के साथ जिले के तीनों विधानसभा में चुनाव सम्पन्न कराने अर्धसैनिक बलों की कंपनियों का आने का सिलसिला जारी है, संभवत: कल तक सभी कंपनियां जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगी। जिले को प्राप्त होने वाली 27 कंपनियों के उनके ड्यूटी एवं ठहरने की व्यवस्था पूर्व से तैयार किया गया है जिसके अनुरूप कंपनियों को विभिन्न थाना क्षेत्र में रुकवाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर इन बलों के साथ थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन व पेट्रोंलिग किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.11.2023 को जिला मुख्यालय सहित घरघोड़ा, खरसिया, धरमजयगढ़, लैलूंगा में अर्धसैनिक बलों के साथ थाना प्रभारी ने धनतेरस में सजी बाजार व्यवस्था में लगी रही जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को सराफा एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और भीड़ जब तक मार्केट में बनी रहती है तब तक मार्केट एरिया में बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन व पुलिस की टीमें आचार संहिता का पालन कराने तथा स्थैतिक निगरानी दल, उडनदस्ता के साथ प्रशासन व पुलिस की टीमें लगातार राजनैतिक दलों के प्रचार प्रसार, प्रचार-सामाग्रियों एवं मादक पदार्थो के परिवहन पर निगाह रखी जा रही है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने की 17 नवंबर को मताधिकार का उपयोग कर मतदान की अपील

रायगढ़। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने स्वीप गतिविधियों के तहत वीडियो संदेश के माध्यम से रायगढ़ जिले के सभी मतदाताओं को 17 नवंबर को अपने मताधिकार का उपयोग कर वोटिंग करने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने सभी मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 17 नवंबर को रायगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा सभी का फर्ज है कि हम इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस वर्ष भारत निर्वाचन आयोग ने हमारे 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही आयोग की यह अपेक्षा है कि हमारे सभी युवा मतदाता जो प्रथम बार इस चुनाव में अपने वोट डालेंगे वे सभी मतदान में शत-प्रतिशत भागीदारी करें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस निर्वाचन में हम सभी 17 नवंबर को वोट डालने जरूर जाएं और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।

मतदान हमारा संविधानिक अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी-कलेक्टर गोयल

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से आगामी 17 नवंबर को अपने मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच किसी भी समय जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करने की अपील की है।

एसएसपी सदानंद कुमार ने मताधिकार का प्रयोग करने जिलेवासियों से की अपील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने कहा कि निर्वाचन के दौरान पुलिस बल के जवान सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। उन्होंने जिलेवासियों से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु 17 नवंबर को शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु अपील की है।

स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत दीप प्रज्जवलित कर मतदान करने हेतु लिए शपथ

- 17 नवम्बर को मतदान हेतु सभी को करें प्रोत्साहित -कलेक्टर गोयल
- ग्राम पंचायतों में भी चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज जनपद पंचायत रायगढ़ में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत चलाये जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आगामी 17 नवम्बर को होने वाले मतदान में शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु अपील की। इस मौके पर कलेक्टर गोयल ने दीप प्रज्जवलित कर अपने आसपास के लोगों को भी मतदान हेतु प्रोत्साहित करने को कहा और सभी को मतदान हेतु शपथ दिलाई।

उल्लेखनीय है कि स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत जिले में शत-प्रतिशत मतदान हेतु विविध प्रकार के मतदाता जागरूकता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत रायगढ़ में दीप प्रज्जवलित किया गया। जिसमें दीपों के माध्यम से 17 नवम्बर को मतदान अवश्य करने हेतु अपील की गई। साथ ही मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली भी बनायी गयी थी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, सीईओ जनपद पंचायत रायगढ़ राजेश साहू सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम- कलेक्टर गोयल के निर्देश पर आगामी 17 नवम्बर को होने वाले मतदान हेतु जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण महिलाएं भी इन कार्यक्रमों में रूचि दिखा रही है और बढ़ चढ़कर जागरूकता अभियान में शामिल हो रही है। जिले के बघनपुर, खैरपुर, कांशीचुआं, महलोई, बुढिय़ा, देवगांव, बनई, बिजना, गारे, हमीरपुर, राबो, खम्हरिया, बासनपाली, गोढ़ी, खरसिया, डारआमा, भुईकुर्री सहित अन्य ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मतदान के लिए जन जागरूकता रैली, रंगोली, शपथ जैसे विभिन्न आयोजन किया गया। महिलाएं अपने गांवों में बैनर लेकर रैली निकाली एवं सभी को मतदान हेतु प्रोत्साहित किया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480